कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–
पत्र संख्या–न्याय–5(1)–रिट–इलाहाबाद/2016–17/ 1076/1617062 /वर्ष 2016–17 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 फरवरी, 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर/
समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)/
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्न मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों की, अपनी विधिक सीमाओं के बाहर जाकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के विपरीत कार्य करने की निरंकुश कार्य प्रणाली पर गम्भीर टिप्पणी करते हुए, एग्जेम्प्लरी कॉस्ट अवार्ड की गयी है जिसके भुगतान से अकारण राजस्व क्षय हुआ है एवं शासन की छवि धूमिल हुई है:–

1. रिट सं0–80/2016 सर्वश्री फ्लिपकार्ट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0
2. रिट सं0–546/2016 सर्वश्री फ्लिपकार्ट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र
3. रिट सं0–41/2015 सर्वश्री मो0 इकबाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0

उक्त सन्दर्भ में अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– क0नि0–47/ ग्यारह–2–2017 दिनांक 12.01.2017 में कहा गया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों से विदित होता है कि नियन्त्रक अधिकारियों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनायी जा रही कार्यशैली पर कोई नियन्त्रण नहीं है, अपितु कतिपय मामलों में उनके द्वारा ऐसी कार्यशैली को मनमानेपन एवं अतिउत्साह में अपनाने का दृष्टान्त भी प्रकाश में आया है।

सर्वश्री फ्लिपकार्ट के मामले में नोटिस व आदेशों की जानबूझ कर अवैध तामीली एवं गलत ढंग से वसूल की गयी करोड़ों की धनराशि राज्य सरकार को ब्याज सहित लौटाना पड़ा। राज्य सरकार की मंशा करदाताओं से केवल कानून के दायरे में ही करों की वसूली करने की है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। रिट याचिका संख्या–41/2015 सर्वश्री मो0 इकबाल एवं अन्य के मामले में जॉच अधिकारी द्वारा बिना अधिकार वाहन को रोके रखने के कारण रू0 2,00,000.00 कॉस्ट अवार्ड हुई। प्रकरण के प्रारम्भिक अवलोकन से, जॉच अधिकारी द्वारा वाहन रोकने और छोड़ने तक के प्रत्येक घटनाक्रम की जानकारी नियन्त्रक अधिकारियों को होना प्रतीत होता है, परन्तु उच्च अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन न देने और वाहन के अवैध डिटेन्शन रोकने में अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहने का अभास कराता है।

उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, विधिक सीमाओं के दायरे में ही कर उद्ग्रहण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो और विभाग में स्वच्छ कार्यशैली का विकास सुनिश्चित हो सकें। उक्त वर्णित घटना एवं कार्यशैली पर कठोर नियन्त्रण हेतु ऐसे मामलो की जोनवार समीक्षा भी मासिक बैठक में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि शासन के उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या मासिक बैठक में प्रस्तुत करेंगें।

21/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम),
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

RS- SS